



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2853]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2019/भाद्र 6, 1941

No. 2853]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2019/BHADRA 6, 1941

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

**का.आ. 3123(अ).**—केंद्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1490(अ), तारीख 13 सितंबर, 2006 में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, - (क) क्रम संख्यांक 1, 2 और 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- “1. श्री अरुण गोयल - अध्यक्ष, रसायन हथियार समझौता के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण
2. डा. सुधांशु गुप्ता - निदेशक (संयुक्त सचिव, रसायन हथियार समझौता के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण)
3. श्री विवेक चतुर्वेदी - निदेशक (मुख्य अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय)”;

(ख) क्रम संख्यांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| “5. | श्री एस.सी.एल.दास      | - निदेशक (संयुक्त सचिव, आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय)                        |
| 6.  | श्री संजीव कुमार जिंदल | - निदेशक (संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय)                          |
| 7.  | श्री अतिश चन्द्रा      | - निदेशक (संयुक्त सचिव, पादप संरक्षण, कृषि सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग)।”। |

[फा.सं. सी.1-40015/4/2013-रसा. I]

समीर कुमार बिसवास, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 1490(अ), तारीख 13 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी तथा उसमें का.आ. 3585(अ), तारीख 8 नवंबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

### (Department of Chemicals and Petrochemicals)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2019

**S.O. 3123(E)** .—In exercise of the provisions of sub-section (1) of section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1490(E), dated the 13<sup>th</sup> September, 2006, with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

2. In the said notification,- (a) for serial numbers 1, 2 and 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

- |     |                       |  |
|-----|-----------------------|--|
| “1. | Shri Arun Goyal       | - Chairperson, National Authority Chemical Weapons Convention                              |
| 2.  | Dr. Sudhanshu Gupta   | - Director (Joint Secretary, National Authority Chemical Weapons Convention)               |
| 3.  | Shri Vivek Chaturvedi | - Director (Principal Additional Director General, Directorate of Revenue Intelligence) ”; |

(b) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| “5. | Shri S. C. L. Das         | - Director (Joint Secretary, Internal Security, Ministry of Home Affairs)                                    |
| 6.  | Shri Sanjeev Kumar Jindal | - Director (Joint Secretary, Disaster Management, Ministry of Home Affairs)                                  |
| 7.  | Shri Atish Chandra        | - Director (Joint Secretary, Plant Protection, Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare).”. |

[F. No. C.I-40015/4/2013-Ch.I]

SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.